वर्ष 29 अंक 85
पृष्ठ 20
बरेली, बुधवार
6 दिसंबर 2017
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 4.00

दैनिक जागरण
विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

शशि कपूर के लिए मैं बबुआ था : अमिताभ 15
जीत से सात विकेट दूर विराट सेना 18

www.jagran.com
दिल्ली • उत्तर प्रदेश • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखण्ड • बिहार • झारखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • हिमाचल प्रदेश • पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

प्रदेश में नियुक्त किए जाएंगे 10 हजार सूर्य मित्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नवीन सौर ऊर्जा नीति-2017 को मंजूरी दी है। यह नीति पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सूबे में 10 हजार सूर्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। ये सूर्य मित्र उपभोक्ताओं को योजना से लाभान्वित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बदली नियमावली से उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी और ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति होगी। इसके तहत 10700 मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना की स्थापना का लक्ष्य है। सरकार बुंदेलखंड और पूर्वांचल में पावर परियोजनाओं की स्थापना पर सोलर पावर ग्रिड संयोजन निर्माण लागत का व्यय वहन करेगी।

मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की मैराथन बैठक में यह फैसला हुआ। इसके समेत कुल 22 महत्वपूर्ण फैसले किए गए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति 2013 में बनी थी लेकिन, उसमें व्यापक संशोधन किया गया है। इस बदलाव के बाद योजना पर 1831 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। यह नीति 2022 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त होने वाले दस हजार सूर्य मित्रों का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित होगा। विशेष रूप से 'पहले आओ-पहले पाओ' के तहत उपभोक्ता को वरीयता दी जाएगी। प्रति विद्युत उपभोक्ता को 15 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक के अनुदान दिए जाएंगे। सोलर रूफटॉप की स्थापना को सरल करने के उद्देश्य से दस किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को विद्युत सुरक्षा निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले सुरक्षा निरीक्षण से मुक्त रखा गया है। विद्युत बिल में कमी एवं खपत में कमी के इरादे से अर्द्धसरकारी भवनों पर थर्ड पार्टी रिन्यूएबल सर्विस कंपनी से ग्रिड संयोजित सोलर रूफटाप संयंत्रों की स्थापना कराई जाएगी। 50 हजार लोग इस योजना में लाभान्वित होंगे। सिद्धार्थनाथ के मुताबिक प्रदेश में जितनी भी सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पताल हैं वहां भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी भवनों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में पहले आ रही सारी अड़चनें समाप्त होंगी। योगी सरकार में इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा बल्कि जटिल प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। अब सिर्फ लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सरकार स्टांप ड्यूटी आदि में भी छूट देगी।

सौर ऊर्जा नीति मंजूर

- योगी सरकार की कैबिनेट ने किए 22 महत्वपूर्ण फैसले
- 10700 मेगावाट ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य, बुंदेलखंड व पूर्वांचल के लिए सरकार मेहरबान

अन्य प्रमुख फैसले

- तीन तलाक पर केंद्र के प्रस्तावित कानून पर मुहर
- डीएम देंगे मिट्टी खनन की इजाजत
- खत्म होंगे वीस हजार लंबित छोटे मुकदमे
- सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होंगे पुलिस इंस्पेक्टरों के प्रमोशन
- लिखित परीक्षा से भर्ती होंगे बंदीरक्षक
- 90 दिन में श्रमिक संगठनों का पंजीकरण
- शादी अनुदान का लाभ लेने की अवधि 31 मई तक
- मंडियों के गेटपास अब चार प्रतियों में

विस्तृत फैसले >> पेज 14

Dainik Jagran
06/12/2017
Page No. 1

उ०प्र० सरकार द्वारा मंजूर सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत सूर्य मित्र नियुक्त होगें।
रोजगार प्राप्त करने में सहायक MDVTI के
सोलर एनर्जी टेकनीशियन कोर्स (कोर्स कोड: 48) करें।
www.mdvti.com
+91-7037940079

नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी

कैबिनेट फैसला : दस हजार युवा 'सूर्य-मित्र' के रूप में रखे जाएंगे

अमर उजाला ब्यूरो 06/12/2017
लखनऊ। Page No. 11

प्रदेश सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें पूर्वांचल व बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष सहूलियतों व सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत 2022 तक 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। नीति के अंतर्गत 10 हजार युवा 'सूर्य-मित्र' के रूप में रखे जाएंगे। इन्हें सोलर सिस्टम से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने 2013 की सौर ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर 15 से 30 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा और करीब 50 हजार उपभोक्ताओं को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि सोलर प्रोजेक्ट पर स्टांप ड्यूटी में छूट के अलावा तमाम तरह की सब्सिडी के प्रावधान किए गए हैं। सोलर पार्क की स्थापना पर भी इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 'पहले आओ-पहले पाओ' की नीति के तहत इस नीति का लाभ दिया जा सकेगा। राज्य सरकार पर 1831 करोड़ रुपये का खर्च इस नीति के क्रियान्वयन से आएगा। सिंह ने बताया कि सरकारी के साथ-साथ निजी स्तर पर घरों के छतों पर सोलर रूफ टॉप लगवाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए तमाम पुरानी मुश्किलें व इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा लाइसेंस के लिए निरीक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी गई है।

अन्य फैसले

दरोगा,इंस्पेक्टर के प्रमोशन में विभागीय परीक्षा खत्म अब दरोगा के कुल पदों के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती और बाकी पचास प्रतिशत पद प्रोन्नति से ज्येष्ठता के आधार पर भरे जाएंगे। वहीं निरीक्षक के सभी पद प्रोन्नति से ही भरे जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2016 में संशोधन कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

योगी सरकार ने तीन तलाक के कानून का समर्थन प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से सुरक्षा दिलाने से जुड़े केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून पर अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य सरकार की सहमति से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित कानून पर 10 दिसंबर तक राज्य सरकार का मत मांगा था। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से मुस्लिम महिलाओं को भी संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिए गए समान अधिकार और समान सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी और उनका सशक्तीकरण होगा।

मई तक हो सकेगा शादी अनुदान का भुगतान : सरकार ने पिछड़े वर्ग केगरीब लोगों को बड़ी राहत देते हुए मार्च महीने में बेटी की शादी करने पर उनको मई में भी अनुदान देने का फैसला किया है। अब तक केप्रावधान के मुताबिक वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होने के नाते मार्च में बेटी की शादी करने पर अनुदान नहीं मिल पाता था।

Amar Ujala
06/12/2017
Page No. 11